

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन न० 101/2021

प्रार्थी :- राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पंचपदरा

बनाम

- विप्रार्थीगण :-
1. उस्मानखां पुत्र जामीन खां, आरब खां गोदपुत्र सुमानी कौम मुसलमान सा. नवातला
 2. वगताराम पुत्र अचलाराम कौम जाट सा नवातला
 3. अलीखां अबूखां उस्मानखां पि. जामीन आलादीन अली मिसरा पि. सुलेमान मुरादी बेवा सुलेमान हनीफ खां आरब खां रिमझैखां सफी खां पि. खमला कौम मुसलमान सा. नवातला।
 4. रसूल खां रेशमखां फतेहखां पि. मोहम्मदखां रसूलखां सफीखां गफूरखां पि० मूसैखां सा. कूमपलिया तह. बायतू बरगत वल्द मिटूखां आरबखां गोदपुत्र सुमानी सफी पुत्र खमीया हनीफा रिमजा पि. खमीया कौम मुसलमान व सरपंच ग्राम पंचायत नवातला सा. नवातला

आदेश दि० 16-08-2021
प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पंचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प३(२)राज-६/२००३/पार्ट/०४ जयपुर दिनांक १०.८.२०१६ के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। ग्राम नवातला में एक ग्रेवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी मार्ग(जो लागू नहीं) कूमपलिया सरहद से रबारियों का घोरा ग्रेवल से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम सांमरा में एक ग्रेवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से ग्राम नवातला के खसरा नं. २३४६/१८११, २३४३/१८१२, २३५१/१८१४, २३६१/१८१६ भूमि में उक्त ग्रेवल रास्ता चल रहा है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित विवरण अनुसार कूमपलिया सरहद से रबारियों का घोरा ग्रेवल सड़क रास्ता दर्ज करने का नवातला निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पंचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १३०,१३१,१३६ भू- राजस्व अधिनियम सपठित नियम ६० भू अभिलेख नियम १९७० को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पंचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प३(२)राज-६/२००३/पार्ट/०४ जयपुर दिनांक १०.८.२०१६ के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सड़क/ डामर सड़क जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते में रास्ते सड़क के रूप में अभिलिखित नहीं



उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग में ले रहे हैं।

विप्रार्थी वगैरहा तहसीलदार पचपदरा के द्वारा सूचित किये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नहीं है। बाद विवेचन तहसीलदार पचपदरा की ओर से ग्राम नवातला में एक ग्रेवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी मार्ग (जो लागू नहीं) कूम्पालिया सरहद से रबारियों का धोरा ग्रेवल सड़क से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम नवातला में एक ग्रेवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो कूम्पालिया सरहद से रबारियों का धोरा ग्रेवल सड़क जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को संबंधित कारककारन की सहति अनुसार रास्ते के लिए जोड़ने हेतु स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर ग्राम ग्राम चम्पाबैरी में एक ग्रेवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो कूम्पालिया सरहद से रबारियों का धोरा ग्रेवल सड़क से ग्राम नवातला के खसरा नं. 2346/1811, 2343/1812, 2351/1814, 2361/1816 भूमि में एक ग्रेवल सड़क / डामर सड़क / बारहमासी मार्ग प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' परिवर्तन खतौनी में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते हैं, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित तरमीम खतौनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।



(नरेश चोपड़ा)

उप-खण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 12.08.2021 को खुले न्यायालय में को सुनाया गया।

भू-अभिलेख अधिकारी
उप-खण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा